न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

Filling No.-235103003762013 विविध आपराधिक प्रकरण क.—29 / 2013 संस्थापित दिनांक—16.08.2013

श्रीमती कृष्णा पत्नी महेश पुत्री जयराम जाति लोधी आयु 20 साल धंधा कुछ नहीं हाल निवासनी ग्राम मोहनपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगरआवेदिका

विरुद्ध

महेश पुत्र गोविंददास लोधी आयु 23 साल धंधा खेती निवासी ग्राम वडैरा तहसील व जिला अशोकनगर म0प्र0।

.....अनावेदक

आवेदिका द्वारा :— श्री गौरव जैन अधिवक्ता। अनावेदक द्वारा :— श्री पठान अधिवक्ता।

—: <u>आदेश</u> :— <u>(आज दिनांक 11.03.2017 को घोषित)</u>

- 1— इस आदेश द्वारा आवेदिका के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 द.प्र.स. का निराकरण किया जा रहा हैं।
- 2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका का अनावेदक से विवाह हुआ है तथा आवेदिका अनावेदक की पत्नी है।
- 3— आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया हैं कि उसका अनावेदक से लगभग चार वर्ष पूर्व हिन्दू रीति—रिवाज से विवाह हुआ था। आवेदिका के अनुसार उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार लगभग तीन लाख रुपये विवाह में खर्च किए थे। आवेदिका के अनुसार विवाह के कुछ समय पश्चात् उसकी सास मक्खनबाई द्वारा कम दहेज लाने की बात कहकर उसके साथ गालीगलीच की गई और मारपीट की जाने लगी तथा दो लाख रुपये दहेज की मांग की जाने लगी। आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में अभिवचित किया है कि अनावेदक ने दिनांक 13.07.13 को रचना से दूसर विवाह कर लिया और जब उसके माता—पिता अनावेदक तथा उसके माता—पिता को समझाने गए तो वह नहीं माने। आवेदिका के अनुसार स्कूल जाते समय

अनावेदक ने उसे धमकी दी एवं मारपीट की और फिर उसने अनावेदक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया। आवेदिका के अनुसार अनावेदक अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा और उसने दूसरा विवाह कर लिया है। आवेदिका के अनुसार उसे भरण—पोषण की आवश्यकता है तथा अनावेदक की 20,000 रुपये प्रतिमाह की आय है। अतः उक्त आधारों पर आवेदिका द्वारा उसे 5000 रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण की राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया हैं।

- 4— अनावेदक ने उक्त आवेदन के जवाब में अनावेदक ने अभिवचित किया है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य या उसने कभी भी दो लाख रुपये दहेज की मांग नहीं की। अनावेदक के अनुसार उसने कभी भी अनावेदिका को प्रताडित नहीं किया। अनावेदक के अनुसार आवेदिका ने उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की है तथा वह उसके साथ रहने नहीं आ रही है। अनावेदक के अनुसार उसने आवेदिका की उपेक्षा नहीं की तथा आवेदिका दांपत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर रही है। अनावेदक के अनुसार उसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर अनावेदक ने आवेदिका के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का निवेदन किया है।
- 5— प्रकरण में अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रष्न उत्पन्न होते हैं:—
 - (1) क्या, आवेदिका अनावेदक से युक्तियुक्त कारण से अलग रह रही हैं?
 - (2) क्या आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं ?
 - (3) क्या अनावेदक, आवेदिका का भरण-पोषण करने में सक्षम हैं ?
 - (4) क्या अनावेदक, आवेदिका को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के भरण —पोषण करने में उपेक्षा कर रहा हैं ?
 - (5) परिणाम ?

::निष्कर्ष के आधार ::

6— प्रकरण में आवेदिका की ओर से आवेदिका स्वयं आ.सा. 01 कृष्णा, आ.सा. 02 घनश्याम, आ.सा. 03 जयराम एवं आ.सा. 04 मंगल सिंह की साक्ष्य प्रस्तुत की गई हैं और साथ ही प्रपी 01 लगायत प्रपी 11 के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। अनावेदक की ओर से अनावेदक महेश की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संषक्त एवं अन्तरवलित हैं, अतः साक्ष्य की पूर्नावृत्ति के दोष निवारणार्थ

विचारणीय प्रष्न कं. 01 से लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा हैं। आ.सा. 01 कृष्णा ने अपने कथन में बताया है कि उसका अनावेदक से पांच वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। आ.सा. 01 के अनुसार विवाह उपरांत अनावेदक तथा उसके घरवाले उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगे। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पिता ने अनावेदक को समझाया कि वह आवेदिका को अच्छे से रखे, लेकिन वह नहीं माने तथा अनावेदक ने रचना से दूसरी शादी कर ली। उक्त साक्षी के अनुसार स्कूल जाते समय भी अनावेदक ने उसे परेशान किया। उक्त साक्षी के अनुसार अनावेदक खेती करता है तथा उसके पास गाडी एवं द्रेक्टर भी है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे प्रतिमाह 5000 रुपये की आवश्यकता होती है, जबकि अनावेदक 20000 रुपये प्रतिमाह कमाता है। आ.सा. 03 जयराम जो कि आवेदिका का पिता है, ने अपने कथन में बताया है कि आवेदिका उसकी पुत्री है तथा उसका विवाह अनावेदक से हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार अनावेदक उससे दो लाख रुपये दहेज की मांग करता है तथा परेशान करता है। उक्त साक्षी के अनुसार अनावेदक ने दूसरा विवाह भी कर लिया है और उसकी 20000 रुपये प्रतिमाह की आय है। उक्त साक्षी के अनुसार उसकी पुत्री को 200 रुपये प्रतिदिन का खर्चा है तथा उसने कृष्णाबाई को कोई खर्चा नहीं दिया है। आ.सा. 02 एवं आ.सा. 04 दोनों ने अपने कथन में बताया है कि अनावेदक आवेदिका को दहेज के लिए परेशान करता है। उक्त साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है कि अनावेदक ने दूसरा विवाह कर लिया है तथा आवेदिका अपने पिता के पास रह रही है। उक्त साक्षीगण के अनुसार आवेदिका कोई काम नहीं करती, जबकि अनावेदक की अपनी आय है। उक्त साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है कि अनावेदक स्वयं की आय अर्जित करता है तथा आवेदिका को तीन से पांच हजार रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता है।

- 9— अनावेदक ने अपने कथन में इस बात को स्वीकार किया है कि आवेदिका ने उसके विरुद्ध दहेज संबंधी प्रकरण चलाया है। उक्त साक्षी के अनुसार आवेदिका पर दो—ढाई सौ रुपये प्रतिदिन का खर्चा आता है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आवेदिका के भरण—पोषण की जिम्मेदारी उसकी है।
- 9— इस प्रकार प्रकरण में जहां यह स्पष्ट हैं कि आवेदिका का अनावेदक से विवाह हुआ था और वह अनावेदक से अलग रह रही हैं। प्रकरण में आवेदिका एवं

अनावेकद की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आवेदिका वर्तमान में अपने पिता के साथ रह रही है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी प्रकट हो रहा है कि अनावेदक आवेदिका से दहेज की मांग करता है तथा प्रताडित करता है और इसी कारणवश वह उससे अलग रह रही है। आवेदिका की साक्ष्य का अनुसमर्थन आ.सा. 02 लगायत आ.सा. 04 की साक्ष्य से हो रहा है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अनावेदक स्वयं की आय अर्जित करता है। आवेदिका ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं, उनमें प्रपी 02 एवं प्रपी 03 के दस्तावेजों से यह प्रकट हो रहा है कि अनावेदक खेती का कार्य करता है। प्रपी 01, प्रपी 04 लगायत प्रपी 11 के दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरुद्ध मारपीट एवं दहेज के संबंध में रिपोर्ट भी लेखबद्ध कराई गई है। उक्त दस्तावेजों एवं आवेदिका द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि अनावेदक द्वारा आवेदिका को अनावश्यक रूप से प्रताडित किया गया है। अनावेदक ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसका आवेदिका का भरण-पोषण करने का दायित्व है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि अनावेदक आवेदिका का भरण-पोषण नहीं कर रहा है। उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि आवेदिका युक्तियुक्त कारण से अनावेदक से अलग रह रही हैं और वह स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। यहां इस बात को भी सही मानने के पर्याप्त आधार हैं कि अनावेदक बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा कर रहा हैं। जबकि वह उसके भरण पोषण करने में सक्षम हैं।

विचारण प्रश्न क्रं. 05

10— विचारणीय प्रष्न क्रमांक 01 लगायत 04 आवेदिका के पक्ष में निर्णित होने के कारण प्रकरण में मात्र यह निष्चित करना हैं कि आवेदिका को अनावेदक कितनी भरण पोषण की राषि अदा करेगा। प्रकरण में आवेदिका द्वारा यह कथन किया गया हैं कि अनावेदक कृषि करता है तथा आवेदिका स्वयं का भरण—पोषण करने में असमर्थ है। अतः आवेदिका की ऐसी भरण पोषण की राषि दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हैं जो कि सम्मानजनक हो तथा आवेदिका की मूलभूत आवष्यकता को पूर्ति करने में पर्याप्त हो। अनावेदक का यह नैतिक एवं धार्मिक दायित्व हैं कि वह आवेदिका का भरण पोषण करें। प्रकरण में निरंतर बढने वाली महंगाई दर को भी ध्यान में रखना उचित होगा,

जिससे कि भविष्य में आवेदिका भरण—पोषण की राशि से स्वयं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो। अतः प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखतें हुए आवेदिका को 5000 / — रूपये प्रतिमाह भरण पोषण की राषि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

11— अतः आदेशित किया जाता हैं कि अनावेदक आवेदिका को आदेश दिनांक से 5000 / — रूपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार आदेश पारित। आदेष पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)